(6)

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (शिविर भोपाल)

राजस्व रिव्हीजन क्र.:— /2017 ग्राम देवास, (जिला—हरदा)

प्रस्तुती दिनांक :— 16/08/2017

PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा/2017/3322

रामविलास आ. रामनारायण जाट .... आवेदक

श्री बलराम पटेल

बनाम

अभिभाषक द्वारा 29-8-17 श्रीमती रूखमणीबाई पत्नि रामेश्वर जाट एवं अन्य .... अनावेदकगण

को प्रस्तुत किया

"आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 151 व्य.प्र.संहिता सहपठित धारा 32 म.प्र.

29-8-17 **भू-राजस्व संहिता वास्ते प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने बाबत्"**

आवेदक की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :—

1/— यह कि, आवेदक द्वारा एक रिव्हीजन माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/06/2017 प्रथम रा.अपील क्र.18/2016—17 ग्राम देवास रूखमणीबाई बनाम रामविलास एवं अन्य 09 में पारित आदेश दिनांक जो धारा 05 अवधि विधान पर पारित किया गया से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग./हरदा/भू.रा./2017/3322 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/10/17	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23–6–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और आवेदक को जैसे ही तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई उसके द्वारा तत्काल नकल प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील समय सीमा में मान्य करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	